www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

सामाहिक

खण्ड 38 अंक 31 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 2 -8 नवंबर 2013 | ₹ 8.00

रोज़गार सारांश

के.रि.पु.ब.

● कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक के.रि.पु.ब. मध्यप्रदेश सेक्टर, पूर्वोत्तर सेक्टर और जम्मू सेक्टर को करीब 2952 सिपाही (तकनीकी / ट्रेड्समैन (पुरुष/महिला)) की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 11.11.2013

सं.लो.से.आ.

● संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (1), 2014 की अधिसूचना जारी

अंतिम तिथि: 02.12.2013

भारतीय सेना

● भारतीय थल सेना के शिक्षा कोर में वर्ग एक्स और वाई में 270 हवलदार शिक्षकों की भर्ती

अंतिम तिथि: 01.12.2013

सेल

● स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, बर्नपुर को 550 ऑपरेटर-सह-तकनीशियन (ट्रेनी) और अटेंडेंट-सह-तकनीशियन (ट्रेनी) की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 14.11.2013

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड में निम्नलिखित आलेख उपलब्ध है :

1. प्रधानमंत्री का रूस और चीन दौरा

भारत में ग़रीबी आकलन के तरीक़े

डॉ. जोसेफ अब्राहम

विगत में हुई जनगणना के अनुसार ग़रीबी की पहचान के लिए प्रयुक्त होने वाली अवधारणाओं और पद्धतियों में कई बदलाव आए हैं. एक तरफ जहां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) के अनुमान विनिर्दिष्ट कैलोरिक नियमों के तहत खपत व्यय पर आधारित ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों की प्रतिशतता को उपलब्ध करवाते हैं, वहीं ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सर्वेक्षण और वर्तमान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए ग़रीब घरों की पहचान में मददगार होते हैं. बीपीएल सर्वेक्षणों के प्रत्येक दौर से लेकर वर्तमान में जारी एसईसीसी 2011 तक लागू किये गये परिवर्तनों के बारे में संक्षेप में वर्णन करने की आवश्यकता है. ग़रीबों की पहचान के लिए एसईसीसी 2011 में देशव्यापी ई-गवर्नेंस मॉड्यूल्स की शुरूआत को एक प्रमुख सफलता माना जा रहा है और इसके परिणामों का इंतज़ार है. डाटा संग्रह, जागरूकता सृजन और विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा दावा और आपत्तियां ट्रैकिंग प्रणाली (सीओटीएस) की प्रक्रिया के जरिए पंचायती राज संस्थानों और ग्राम सभाओं की संलग्नता को लेकर जिस मात्रा तक ई-गवर्नेंस पहले शुरू की गई हैं उनसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिली है कि सभी के लिए बीपीएल सूची एक चिंता का विषय है. पहले की भांति परंतु डाटा संग्रह के वर्तमान विकेंद्रीकृत प्रयासों के तहत काफी कुछ त्रुटियां भी होने की संभावनाएं हैं.

ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों का निर्धारण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारत का योजना आयोग करता है. यह काम प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा संचालित उपभोक्ता व्यय के व्यापक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है. योजना आयोग द्वारा जारी ग़रीबी अनुपात के उपलब्ध आंकड़े 2004-05 के एनएसएसओ के 61वें दौर पर आधारित थे. इसमें यह अनुमान लगाया गया था कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 28.3 प्रतिशत आवास ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं. ग़रीबी पर वर्ष 2009-10 के नवीनतम आंकड़े तेंदुलकर समिति (2009) की पद्धति पर आधारित थे. जबकि ग़रीबी से संबंधित अनुमान योजना आयोग द्वारा तैयार किये जाते हैं, पूर्व में 1992, 1997 और 2002 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए भी तीन अलग जनगणनाएं की गई हैं. घरों की गांव वार गणना करने का मुख्य उद्देश्य उन बीपीएल परिवारों की पहचान करना है जिनकी मंत्रालय के विभिन्न ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत सहायता की जा सके. इसके अलावा भारत सरकार के कई अन्य मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति आदि जैसे लक्षित लाभों के लिए सूची तैयार करते समय बीपीएल सूची का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह बीपीएल सूची का केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ-साथ व्यापक जनसंख्या के लिए बहुत ही व्यावहारिक महत्व है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबों की पहचान करने के लिए एक अधिक उपयुक्त पद्धति की अनुशंसा करने के लिये अगस्त 2008 में एक विशेष दल का गठन किया था. योजना आयोग ने ''न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी खपत मांग'' पर एक कार्य बल का गठन किया (भा.स.1979) जिसने पोषक आवश्यकताओं के प्रणालीगत अध्ययन के आधार पर क्रमशः 2400 कैलोरी प्रतिदिन का राष्ट्रीय मानक और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति दिन 2100 कैलोरी मानक की सिफारिश की (अंतर को शहरी क्षेत्रों में अपेक्षित शारीरिक गतिविधियों के निचले स्तर को ध्यान में रखकर तय किया गया है). ये आंकड़े 1971 की जनगणना से अखिल भारतीय डेमोग्राफिक डाटा का प्रयोग करते हुए आयु-लिंग-व्यवसाय-विनिर्दिष्ट मानकों से संचालित थे.

ग़ैर आयामी बनाम बहुआयामी दृष्टिकोण

ग़रीबी का आकलन मुख्यतः आय और व्यय के क्षेत्र में आर्थिक हानि को लेकर किया जाता है. 1970 के दशक के मध्य से गरीबी के आधिकारिक अनुमान कुल मिलाकर संयुक्त पद्धतियों और प्रक्रियाओं को लागू करते हुए संचालित आवास खपत सर्वेक्षणों पर आधारित होते थे. अब ये माना जाने लगा है कि ग़रीबी मात्र अपर्याप्त आय का मामला है, लेकिन ये कम साक्षरता, लघु जीवन आशा और बुनियादी ज़रूरतों के साधनों का अभाव जैसे कि पर्याप्त आश्रय, वस्त्र और सुरक्षित पेयजल आदि से जुड़ा मामला भी है.

ग़रीबी के आकलन और गरीब की पहचान के बीच का अंतर ग़रीबी पर होने वाली बहस में दबकर रह गया है. गरीबी के आकलन के लिए भिन्न पद्धति और सुव्यवस्थित आवास सर्वेक्षण तथा एकत्रित विश्वसनीय मात्रात्मक डाटा के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है. पद्धति और डाटा संग्रह में गरीबी अनुमान और क्षेत्रों तथा सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच तुलना अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए. ग्राम स्तर पर ग़रीब की पहचान के लिए अपेक्षित डाटा बहुआयामी प्रकृति का होता है और इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सूचनाएं होती हैं. गैर आयामी अथवा आय ग़रीबी इस समानुपात पर निर्मित होती है कि किसी आवास का रहनसहन का स्तर उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर निर्भर करता है. दूसरे रूप में यह उपभोग व्यय के स्तर और मूल्य पर निर्भर करता है जो कि

शेष पेज 56 पर

बाग़वानी में कॅरिअर

डॉ. के.पी. सिंह, डॉ. बीना नायर एवं डॉ. प्रेम चंद

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका है. चीन के बाद भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में फूलों, फलों तथा सब्जियों का अग्रणी निर्यातक है. आने वाले वर्षों में इसमें सुधार की अत्याधिक संभावनाएं हैं. सार्वभौमिकरण के बाद भारत ने विश्व मंडी में कृषि-उत्पादों के एक आयातक एवं निर्यातक के रूप में एक व्यापक परिप्रेक्ष प्राप्त किया है. बागवानी, कृषि की एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण शाखा है.

बागवानी हमारे देश में विभिन्न राज्यों के आर्थिक सुधार का आधार बन गई है. कृषि की जी.डी.पी में इसका लगभग 30.4 प्रतिशत योगदान है. विश्व की दृष्टि से भारत फलों तथा सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है. यह आम, केले, नारियल, काजू, पपीते, अनार आदि के उत्पादन में सबसे अग्रणी है तथा मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है. अंगूर, केले, रतालू, मटर, पपीते आदि के उत्पादन में सबसे आगे है. ताजे फलों तथा सब्जियों का निर्यात, मूल्य के संबंध में 14% एवं संसाधित फलों सब्जियों की निर्यात 16.27% है. बागवानी फसलों की लगभग 1596 उच्च पैदावार की किस्में तथा संकर किस्में (फल-134, सब्जियाँ-485, सजावटी पौधे-115, बागान एवं मसाले-467, औषधीय एवं सगंध पौधे-50 और मशरूम-5) भी हमारे ही देश में विकसित की गई हैं.

बागवानी पर निरंतर जानकारी से लाभांश दर में वृद्धि हुई है और इसक परिणामस्वरूप बागवानी उत्पादों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ा है. बागवानी उत्पादों का उत्पादन लगभग 7% बढ़ा है, जो आहार-सुरक्षा तथा रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाता है, हाल के दशकों में बागवानी विषय में छात्रों का काफी रुझान बढ़ा है. बागवानी में व्यवसायीकरण के आने के साथ ही सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा निजी उद्यमों में वैतनिक रोज़गार की व्यापक संभावनाएं हो गई हैं, जहां एक और विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्थाओं में वैतनिक व्यवसाय नियमित आय देता है वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में उद्यम आकर्षक लाभ ले सकता है. आने वाले समय में, बागवानी विश्व भर के अनेक इच्छुक व्यक्ति की पसंद का विषय बन कर उभरने वाला है.

रोज़गार अवसर

किसी भी इच्छुक व्यक्ति के लिए, विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में आशाजनक कोटिपूर्ण शिक्षा के अत्यधिक अवसर हैं. उम्मीदवार भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं कृषि/जीव विज्ञान विषयों के साथ 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा) उत्तीर्ण होने चाहिए. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि/बागवानी में अधि-स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रि-एगीकल्चर टैस्ट (पीएटी) की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार पात्र माने जाते हैं.

जो छात्र बागवानी में अपना स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं उनके लिए कॅरिअर के अनेक अवसर हैं. आजकल बागवानी में उच्च अध्ययन करने के इच्छुक छात्र पुष्पकृषि, औषधीय एवं सगंध पौधों, मसालों एवं बागान फसल, फल कृषि विज्ञान, तेल कृषि तथा फसलोत्तर प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के रूप में अपनी डिग्री कर सकते हैं. छात्रों के लिए देश में और विदेशों में भी रोज़गार के अवसर हैं. स्नातक योग्यता के बाद छात्र बैंकों, वित्त क्षेत्रों, बीज कंपनियों, विक्रय एवं विपणन आदि द्वारा दिए जाने वाले रोज़गार के लिए उपयुक्त होने के पात्र बन जाते हैं. राष्ट्रीयकृत बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आदि कृषि एवं बागवानी के स्नातकोत्तरों को कृषि अधिकारियों, परिवीक्षाधीन अधिकारियों, फील्ड ऑफिसर तथा ग्रामीण विकास अधिकारियों के रूप में अवसर देते हैं. विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय भी बागवानी स्नातकोत्तरों को उनकी विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट पदों पर रोज़गार में रखते हैं.

तथापि अनेक पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव आवश्यक होता है और एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा अन्य अध्यापन पदों के लिए उम्मीदवारों को वि.अ.आ./वै. औ. अ. प./भा. कृ. अ. प. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण होना चाहिए. जबकि वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डॉक्टरल डिग्री अर्थात् पी.एच.डी. एक अनिवार्य अपेक्षा है. एम.एस.सी. कृषि (बागवानी) तथा पीएच.डी (बागवानी) डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित रोज़गार उपलब्ध हैं: ◆ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), कृषि एवं संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ), राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी), कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (दोनों भारत सरकार के) आदि में वैज्ञानिक तथा तकनीशियन, ◆ विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि, ◆ राज्य सरकार में सहायक निदेशक-बागवानी, ◆ राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिला बागवानी अधिकारी, ◆ इफको में बागवानी विशेषज्ञ/टेली फार्म विशेषज्ञ, ◆ बागवानी निरीक्षक/फल एवं सब्जी निरीक्षक/विपणन निरीक्षक, ◆ संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल सेवा, ◆ अनुसंधान एसोसिएट एवं वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, ◆ ग्रामीण बागवानी विस्तार अधिकारी, ◆ अनुभाग अधिकारी (बागवानी/भूदृश्यांकन), बागवानीविद् या पर्यवेक्षक (बागवानी), वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकारी, ◆ कृषि विज्ञान केंद्रों (के. वी. के.) में विषय विशेषज्ञ, ◆ विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में तकनीकी सहायक/तकनीकी अधिकारी, ◆ कृषि विज्ञान केंद्रों (के. वी. के.) में विभिन्न तकनीकी पद.

इनके अतिरिक्त, विभिन्न निजी बीज कंपनियों, उर्वरक एवं पेस्टिसाइड कंपनियों कृषि/बागवानी छात्रों को अपनी फर्मों में रोज़गार पर रखते हैं. यहां तक कि बड़े होटल तथा रेस्तरां भी, अपने आस-पास के क्षेत्रों को सुंदर बनाने के लिए बागवानी-विदों, विशेषरूप में भूदृश्यांकनकर्ता तथा गार्डनर्स को रोज़गार पर रखते हैं. पुष्प उत्पादक नर्सरीज़ मुख्य रूप से महानगरों में बागवानी विदों को अपने आकर्षक व्यवसाय में नियुक्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र एवं कुछ अन्य एजेंसियों के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) भी बागवानी सलाहकार नियुक्त करते हैं.

(शेष पृष्ठ 56 पर)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 2/4.11.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 31.10.2013

बाग़वानी में .....

(पृष्ठ 1 का शेष)

बाग़वानी में स्व-रोज़गार

*बागवानी सलाहकार के रूप में उद्यान या फलोद्यान आदि पर सलाह देने, डिज़ाइन, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण का कार्य कर सकते हैं. ◆ कोई भी अपना कृषि क्लीनिक चला सकता है. इस कार्य के लिए सरकार धन राशि (10.00 लाख रु. तक) देती है. ◆ फल, सब्जी, फूल तथा सजावटी पौधों की व्यावसायिक नर्सरी चला सकते हैं. ◆ सब्जियों तथा पुष्प फसलों के बीज उत्पादक. ◆ फल/सब्जी/पुष्प उत्पादक. ◆फ्लोरल डेकोरेटर/ फ्लोरिस्ट शॉप. ◆ बागवानी सेवा कांट्रेक्टर. ◆ मशरूम उत्पादक, ◆ बीज डीलर/मर्चेंट, ◆ प्रोपराइटर- कोल्ड स्टोरेज,◆ बागवानी उत्पादन के ससांधन कार्य तथा ◆ कोई भी व्यक्ति व्सावसायिक शिक्षा (बगावानी/भूदृश्यांकन) संस्थान चला सकता है.

बागवानी कार्यक्रम चलाने वाले शैक्षिक संस्थान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारत के लगभग सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालय बागवानी में अधिस्नातक, स्नाताकोत्तर तथा डॉक्टरल डिग्री कार्यक्रम चलाते हैं. उदाहरणार्थ सूची नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	कृषि संस्थान के नाम
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
2.	ए.पी. बागवानी विश्वविद्यालय, टाडेपल्लीगुडम
3.	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय
4.	आणंद कृषि विश्वविद्यालय
5.	असम कृषि विश्वविद्यालय
6.	बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय
7.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय
8.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
9.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय
10.	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
11.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
12.	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय
13.	सी.एस.के. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
14.	डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विश्वविद्यालय
15.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय
16.	डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
17.	डॉ. वाई.एस.आर. कृषि विश्वविद्यालय
18.	गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
19.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
20.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
21.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय
22.	केरल कृषि विश्वविद्यालय
23.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
24.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
25.	मान्यवर श्री कांशारामजी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
26.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय
27.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
28.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय
29.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
30.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
31.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
32.	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
33.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
34.	सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय
35.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू
36.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर
37.	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
38.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय
39.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
40.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
41.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, शिमोगा
42.	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक
43.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर
44.	उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
45.	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

(लेखक क्रमशः विषय विशेषज्ञ, वनस्थली विश्वविद्यालय, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, बागवानी विभाग, जे. एन.के.वी.वी., जबलपुर तथा वैज्ञानिक, क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, जोन-VII, जबलपुर हैं, इनसे निम्नलिखित पर संपर्क किया जा सकता है:

1. पहला लेखक : drkpsingh2010@gmail.com
2. दूसरा लेखक : beena.nair1985@gmail.com
3. तीसरा लेखक : prem_mahala@gmail.com)

भारत में गरीबी...

पेज 1 का शेष

किसी आवास को इन मदों के लिए भुगतान करना पड़ता है. आय ग़रीबी दृष्टिकोण में मूलभूत कदम व्यय के महत्वपूर्ण मूल्य की पहचान करना है जो कि एक गरीबी रेखा के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है. इस महत्वपूर्ण मूल्य की पहचान के लिए आकलन विकल्पों की एक शृंखला अनिवार्य है और ये विकल्प विषयपरक होते हैं.

गरीबी का पैमाना गरीबी के आकलन के तौर पर, राधाकृष्णन पद्धति (2005, 2010), अलकायर, एस एंड एस सेठ (2008) में दी गई पद्धतियों के अनुरूप इकाई स्तर डाटा के दो भिन्न सेटों नामतः एनएसएस 61वां दौर उपभोक्ता व्यय डाटा और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3) इकाई स्तर डाटा के अनुरूप निर्धारित किया गया है. डाटा के इस तरह संग्रह से उन्हें प्रत्येक एनएफएचएस नमूना आवास के लिए प्रति व्यक्ति कुल व्यय का अनुमान लगाने में मदद मिली है. इस तरह इकाई स्तर पर विस्तारित एनएफएचएस सूचना में कुल व्यय सम्मिलित होगा. इस विस्तारित एनएफएचएस इकाई स्तर डाटा का इस्तेमाल ग़रीबी विश्लेषण के लिए किया गया है.

बीपीएल सर्वेक्षणों की पद्धति

1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की थी. 1992 सर्वेक्षण का प्रयोग आय मानदंडों के लिए किया गया और परिवार की वार्षिक आय के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये. वार्षिक आय कट-ऑफ रु. 11,000 प्रति आवास था और इससे नीचे के सभी घर ग़रीबी के दायरे में आते थे, 1997 सर्वेक्षण में आय संबंधी मानदंड को हटा दिया गया. यह महसूस किया गया था कि लक्षित समूह में शामिल किये जाने को लेकर हमेशा जनसंख्या में कम आय अनुमान को लेकर निहित पूर्वाग्रह रहता था.

नौंवी योजना (1997-2002) के लिए बीपीएल सर्वेक्षण

बीपीएल गणना के संचालन के लिये लागू 1992 की प्रक्रिया (आठवीं पंचवर्षीय योजना) में बाद में तीन प्रमुख तरीकों से परिवर्तन किये गये. पहला कट-ऑफ बिंदु निर्धारण के लिए मानदंड को आय से खपत में परिवर्तित कर दिया गया. दूसरा जनगणना में गरीबी रेखा की अवधारणा को आवास से परिवर्तित करके व्यक्तिगत आधार कर दिया गया. तीसरा प्रश्नावली तैयार करने से पहले, किसी आवास की खपत के स्तर के आकलन के लिए अपात्र परिवारों को सरसरी तौर पर बाहर करने के लिए एक तय अपवर्जन मानदंड लागू किया गया ताकि संभावित गरीब परिवारों की खपत के स्तर का संक्षेप में अनुमान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय और स्थान सुनिश्चित हो सके. इस पद्धति की मुख्यतः अपवर्जन मानदंड लागू किये जाने को लेकर आलोचना हुई. ये आलोचना मुख्यतः धनी और शक्तिशाली ग्रामीण लॉबी की ओर से थी क्योंकि अपवर्जन मानदंड से उनके लिए सूची में शामिल होना मुश्किल हो गया था. इसे हटाने से उनके सूची में प्रवेश में अवश्य सुविधा हुई है जैसा कि 2004-05 के लिए एनएसएसओ का 61वां राउंड डाटा दर्शाता है कि सबसे धनी लोगों का 16.8 प्रतिशत और इसके आगे के 30.5 प्रतिशत धनी लोगों के पास बीपीएल कार्ड हैं.

दसवीं योजना (2002-07) के लिए बीपीएल जनगणना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए एक विशेष समूह का गठन किया जिसमें पेशेवर, शिक्षाविद्, वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार के कर्मचारी सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संलग्न थे. विशेषज्ञ समूह ने प्रत्येक घर की उनके जीवन की गुणवत्ता का उल्लेख करते हुए स्कोर आधारित रैंकिंग की पद्धति की सिफारिश की. परिवारों के जीवन के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए धारित ज़मीन के आकार, घर की प्रकृति, वस्त्रों की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता, आजीविका के साधन और ऋणग्रस्तता सहित ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता को लेकर तेरह सामाजिक आर्थिक संकेतकों की पहचान की गई.

बीपीएल जनगणना 2011 के प्रति दृष्टिकोण

गरीब की पहचान के लिए 2002 में अनुपालित पद्धति के बारे में राज्य सरकारों और अन्यों द्वारा बताई गई अपर्याप्तता के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त 2008 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की पहचान के लिए अधिक उपयुक्त पद्धति की अनुशंसा करने के वास्ते डॉ. एन सी सक्सेना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया.

विशेषज्ञ समूह ने अगस्त 2009 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी. समूह की रिपोर्ट पर सरकार ने विधिवत विचार-विमर्श किया और बीपीएल जनगणना 2011 के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया.

एसईसीसी 2011 (ग्रामीण) की पद्धति

ये गणना ग्रामीण विकास मंत्रालय की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा संचालित की जाएगी. ये गणना प्रतिवादियों की स्व-घोषणा मॉडल पर आधारित होगी. गणनाकार/डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रतिवादियों की घोषणा को दर्ज़ करेगा और जहां कहीं यह पता है कि प्रत्युत्तर पहली नज़र में गलत है, वह मूल्यांकन फार्म में उपलब्ध स्थान में अपनी टिप्पणी अलग से दर्ज करेगा. पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से इनमें से कुछ घरों में जाएगा और सूचना की सच्चाई की जांच करेगा. पर्यवेक्षक भी नमूना आधार पर भरी हुई प्रश्नावली की औचक जांच करेगा और निगरानी करेगा. सूचना को ग्राम सभा द्वारा सत्यापित और अनुमोदित किया जाएगा. दावे और आपत्तियां दायर करने की प्रक्रिया अलग से मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी. मंत्रालय सर्वेक्षण करने और बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिये जाने के संबंध में भी विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध करवाएगा.

शहरी क्षेत्र के लिए एसईसीसी 2011 में अलग पद्धति थी. एसईसीसी 2011 संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा भारत सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग के साथ संचालित की जा रही है और इस संबंध में निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा राजपत्र में अधिसूचनाएं जारी की जानी हैं. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कुछेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में प्रभार केंद्रों की स्थापना और संचालन, गणनाकारों/पर्यवेक्षकों/प्रभार अधिकारियों/गणना कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, गणना करना और पर्यवेक्षण सत्यापन, मसौदा प्रकाशन, दावे और आपत्तियां, डाटा की गुणवत्ता की जांच और विभिन्न मानदंडों के आधार पर आवासों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना शामिल है. एसईसीसी 2011 की संपूर्ण गतिविधियां ई-गवर्नेंस पद्धति में संचालित और निष्पादित की जानी हैं. विनिर्दिष्ट गतिविधि के प्रत्येक चरण के लिए अलग सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है और प्रयोग में है. ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के दक्ष और सफल निष्पादन के लिए गरीबी पहचान सर्वेक्षणों और गणनाओं में प्रयुक्त विभिन्न अवधारणाओं और पद्धतियों की विविध समझ की ज़रूरत है. स्वयं के गरीबी के दर्ज़े के आकलन में स्थानीय लोगों की संलग्नता और लोकतांत्रिक ढंग से विकेंद्रीकृत विकास के जरिए योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करने हेतु स्थानीय ई-गवर्नेंस पहलों को सुदृढ़ किये जाने की ज़रूरत है. अनुमानन के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए पात्र लक्षित जनसंख्या तक पहुंचने के लिए ई-गवर्नेंस मॉड्यूल्स की शुरूआत एक स्थाई आवश्यकता बन गई है.

(लेखक ग्रामीण विकास मंत्रालय की एसईसीसी शाखा में समाज विज्ञानी हैं.
ई-मेल: josephmepurath@yahoo.com)

सहायक उपकरणों की खरीद हेतु ऋण

- रु. 2.0 लाख तक का ऋण
- ब्याज दर 4-6% वार्षिक
- रेट्रोयुक्त उपकरणों सहित अन्य सहायक उपकरण
- हमारी वेबसाइट **www.nhfdc.nic.in** देखें

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007
दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371
ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in रो.स. 31/38

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए **ईरा जोशी,** अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादकः डॉ. ममता रानी